

तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकुला

सार्वजनिक सूचना

शैक्षणिक सत्र 2020-21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के संबन्ध में

अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के जिन छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए हर-छात्रवृत्ति (Har - Chhatravratti) पोर्टल पर आवेदन किया था, उनमें से कुछ छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन कुछ कारणों (दस्तावेजों की कमी या बैंक खाता की आधार सीडिंग न होना इत्यादि) की वजह से हर छात्रवृत्ति (Har-Chhatravratti) पोर्टल के माध्यम से छात्र व संस्थान के लेवल पर वापिस भेज दिए गए थे, जोकि अभी तक लम्बित है। इन छात्रों को समय-समय पर दस्तावेजों की कमी को दूर करने हेतु सूचित किया जाता रहा है। इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनको अपने दस्तावेजों में कमी को दूर करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक अंतिम अवसर 30.05.2025 तक प्रदान किया जा रहा है। अतः ऐसे सभी छात्र अपने संस्थान से सम्पर्क करके अपने दस्तावेजों की कमी को 30.05.2025 से पहले दूर कर लें तथा अपने एप्लीकेशन फार्म को अपने संस्थान से हर-छात्रवृत्ति (Har-Chhatravratti) पोर्टल के माध्यम से वेरीफाई करवाने उपरान्त सम्बंधित प्रोसेसिंग सेंटर को भेजें।

यह भी सूचित किया जाता है कि 30.05.2025 के बाद शैक्षणिक सत्र 2020-21 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के वे सभी आवेदन जो छात्र व संस्थान के लेवल पर लम्बित रह जाएंगे, उनको हर-छात्रवृत्ति (Har-Chhatravratti) पोर्टल द्वारा स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा तथा इस प्रकार के किसी भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
नोट:- यह सूचना तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों (इंजीनियरिंग / फॉर्मैसी / आर्किटेक्चर व अन्य सभी तकनीकी कोर्स आदि) के लिए है।

कृते:

महानिदेशक,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकुला

**TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
HARYANA, PANCHKULA
PUBLIC NOTICE**

Regarding non-receipt of Post Matric Scholarship for the academic session 2018-19 and 2019-20.

The students of Scheduled Caste and Backward Classes who had applied for Post Matric Scholarship for the academic session 2018-19 and 2019-20 and their scholarship is pending due to some reason (deficiency in documents/non-receipt of verification from the concerned institute etc.) which are still pending and such students have been informed time to time to remove the deficiency in the scholarship application. Those students are hereby informed that they can visit the **Scholarship Cell, GBN Government Polytechnic, Nilokheri, District Karnal, Haryana during office hours from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. on any working day between 21.04.2025 to 30.05.2025** along with the following documents:-

1. Approval letter of the institute from AICTE/PCI/Council of Architecture (as applicable according to the course) for the session 2018-19/ 2019-20.
2. Fee structure approved by State Fee Committee/Fee Rationalization Committee for the session 2018-19/ 2019-20.
3. Receipt/receipt regarding fees paid to institute for the session 2018-19/2019-20.
4. Aadhaar Card.
5. Caste Certificate.
6. Haryana Residence Certificate.
7. Family Income Certificate for the session 2018-19/2019-20.
8. Outside proforma for attendance proof for 2018-19 verified by Head of Institute (for students studied in institutes located Outside Haryana).
9. Degree/Diploma and Detailed Mark sheet Certificates.

It is also informed that no more communications/requests for more chance/opportunity will be entertained by the department for any pending application under Post Matric Scholarship Scheme for the academic session 2018-19 & 2019-20 after 30.05.2025.

Note:- This information is only for students (Engineering/ Pharmacy etc.) who studied in the institutions/courses under the Technical Education and applied for Post Matric Scholarship for the academic session 2018-19/2019-20.

**Director General
Technical Education Department,
Haryana, Panchkula.**

सर्व जनिक सूचना

शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के संबन्ध में।

अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के जिन छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, उनमें से कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति किन्ही कारणों (दस्तावेजों की कमी या वेरीफिकेशन प्राप्त ना होने की वजह से लम्बित है। इन छात्रों को समय-समय पर दस्तावेजों की कमी को दूर करने हेतु सूचित किया जाता रहा है। इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे छात्रवृत्ति कक्ष, गुरु ब्रह्मानन्द जी राजकीय बहुतकनीकी, नीलोखेड़ी, जिला-करनाल, हरियाणा में 21.04.2025 से लेकर 30.05.2025 तक किसी भी कार्यालय दिवस पर समय सुबह 9.00 से शाम 5.00 बजे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं:-

1. संस्थान का एआईसीटीई / पीसीआई / काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (कोर्स के अनुसार जो भी लागू हो) से अनुमोदित पत्र (Approval letter) सत्र 2018-19 / 2019-20 के लिए।
2. State Fee Committee/Fee Rationalization Committee द्वारा अनुमोदित (Approved) (सत्र 2018-19/ 2019-20 के लिए) पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना।
3. सत्र 2018-19 / 2019-20 में संस्थान को दी गई फीस की रसीद।
4. आधार कार्ड।
5. जाति प्रमाण पत्र।
6. हरियाणा मूल निवास प्रमाण-पत्र।
7. सत्र 2018-19 का पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र।
8. Outside Proforma for attendance proof for 2018-19 verified by Head of Institute (for students studied in institutes located Outside Haryana).
9. Degree/Diploma Detailed Marksheet Certificates.

यह भी सूचित किया जाता है कि 30.05.2025 के बाद शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 की किसी भी लम्बित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट:- यह सूचना तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों (इंजीनियरिंग / फॉर्मैसी / आर्किटेक्चर व अन्य सभी तकनीकी कोर्स आदि) के लिए है, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था।

कृते: महानिदेशक,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकुला

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT HARYANA, PANCHKULA

PUBLIC NOTICE

*Regarding non-receipt of Post Matric Scholarship for
the academic session 2020-21*

The students of Scheduled Caste and Backward Classes, who had applied for Post Matric Scholarship on Har-Chhatravratti Portal for the academic session 2020-21, the scholarship applications of some of them were sent back to the student and institute level through Har-Chhatravratti Portal due to some reasons (deficiency in documents/ non-seeding of Aadhaar with bank account etc.), which are still pending and such students have been informed time to time to remove the deficiency in the scholarship application. Those students are hereby informed that a last chance to remove the deficiency in their documents is hereby granted up to 30.05.2025 by the Department of Technical Education, Haryana. Therefore, all such students should contact their institute, remove the deficiency in their documents before 30.05.2025 and get their application form

verified from their Institute (Level-1) through Har-Chhatravratti portal and send it to the concerned Processing Center (Level-2).

It is also informed that after 30.05.2025, all the Post Matric Scholarship applications for the academic session 2020-21 pending at the student and institute level will be automatically rejected by the Har-Chhatravratti portal and no more communications/ requests for more chance/opportunity will be entertained by the department

Note:- This information is only for students of Scheduled Caste and Backward Classes (Engineering/Pharmacy/Architecture and all other technical courses etc.), who were studied in the institutions covered under the Technical Education.

**Director General
Technical Education Department,
Haryana, Panchkula**

No. 34114/HRY



सार्वजनिक सूचना

शैक्षणिक सत्र 2020-21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के संबन्ध में

अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के जिन छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए हर-छात्रवृत्ति (Har - Chhatravratti) पोर्टल पर आवेदन किया था, उनमें से कुछ छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन कुछ कारणों (दस्तावेजों की कमी या बैंक खाता की आधार सीडिंग न होना इत्यादि) की वजह से हर छात्रवृत्ति (Har-Chhatravratti) पोर्टल के माध्यम से छात्र व संस्थान के लेवल पर वापिस भेज दिए गए थे, जोकि अभी तक लम्बित है। इन छात्रों को समय-समय पर दस्तावेजों की कमी को दूर करने हेतु सूचित किया जाता रहा है। इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनको अपने दस्तावेजों में कमी को दूर करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक अंतिम अवसर 30.05.2025 तक प्रदान किया जा रहा है। अतः ऐसे सभी छात्र अपने संस्थान से सम्पर्क करके अपने दस्तावेजों की कमी को 30.05.2025 से पहले दूर कर लें तथा अपने एप्लीकेशन फार्म को अपने संस्थान से हर-छात्रवृत्ति (Har-Chhatravratti) पोर्टल के माध्यम से वेरीफाई करवाने उपरान्त सम्बंधित प्रोसेसिंग सेंटर को भेजें।

यह भी सूचित किया जाता है कि 30.05.2025 के बाद शैक्षणिक सत्र 2020-21 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के वे सभी आवेदन जो छात्र व संस्थान के लेवल पर लम्बित रह जाएंगे, उनको हर-छात्रवृत्ति (Har-Chhatravratti) पोर्टल द्वारा स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा तथा इस प्रकार के किसी भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
नोट:- यह सूचना तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों (इंजीनियरिंग / फॉर्मैसी / आर्किटेक्चर व अन्य सभी तकनीकी कोर्स आदि) के लिए है।

कृते:

महानिदेशक,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकुला